भाग -2

<u>स्कूल नियम</u>

SR-1. प्रत्येक विद्यार्थी अपनी स्कूल दैनन्दिनी (diary) और पहचान पत्र (identity card) प्रतिदिन स्कूल को लाए।

SR-2. प्रत्येक विद्यार्थी विद्यालय द्वारा दी गई दैनन्दिनी में निश्चित स्थान पर माता/पिता द्वारा हस्ताक्षरित अपना फोटो लगाए गा और वांछित सूचना लिखेगा।

SR-3. स्वयं आने वाले विद्यार्थी कम से कम निर्धारित स्कूल समय से पांच मिंट पहले विद्यालय में पहुंचें।

SR-4. विद्यार्थियों को मोबाइल फोन को स्कूल में लाने की आज्ञा नहीं है। यदि वे ऐसा करते हैं तो यह ज़ब्त कर लिया जाएगा और अनुशासनात्मक कारवाई की जाएगी।

SR-5. विद्यार्थियों को स्वाभाविक तौर पर साफ रहना चाहिए और सदैव साफ वस्त्र पहनने चाहिए। स्कूल वर्दी सब कार्य-दिवसों और स्कूल कार्यक्रमों/समारोहों में पहनी जानी चाहिए। और सदैव साफ वस्त्र पहनने चाहिए। मैले कुचैले या वर्दी में न आने वाले विद्यार्थियों को घर भेजा जाएगा। बालों मे जैल (gel) के प्रयोग की अतुमति नहीं है।

SR-6. सभी विद्यार्थियों को (सिक्खों के अलावा) अपने बालों को छोटा रखना पड़ेगा। लड़कियों को अपने बालों को बैंड और पफ (hairband & puff) के साथ साफ सुथरे बांधना चाहिए।

SR-7. सिक्खों के अलावा सभी विद्यार्थियों को नियमित अन्तराल (interval) से अपने बालों को कटवाना चाहिए। सिक्ख लड़कों को नवम् व उस से अगली कक्षाओं में पगड़ी पहननी चाहिए। केवल गेम खेलते समय पटका पहना जासकता है।

SR-8. पाठ्य पुस्तक, लाइब्रेरी पुस्तकों के सिवाए कोई दूसरी पुस्तक या पत्रिका स्कूल को नहीं लाई जानी चाहिए।

SR-9. वस्तुओं और धन के उधार लेने और देने की अनुमति नहीं है।

SR-10. जो विद्यार्थी अनुचर एवं रक्षा-पुरुष (escort) के साथ स्कूल आते हैं, उन्हें रक्षा-पुरुष के पहंुचने से पहले स्कूल से नहीं जाना चाहिए। देरी होने की अवस्था में उन्हें स्कूल कार्यालय को सूचित करना चाहिए।

SR-11. माता-पिता और अभिभावक अध्यापकों से निर्दिष्ट समय में मिल सकते हैं।

SR-12. प्रधानाचार्य की अनुमति के बिना विद्यार्थियों को विद्यालय के दूरभाष को प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। कक्षा के समय में उन्हें फोन पर बात करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा।

SR-13. स्कूल बस का प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों को बस में अनुशासन का प्रतिपादन (maintain) करना पड़ेगा।

SR-14. विद्यालय त्योहारों और जन्मदिनों को स्कूल परिसर या छात्रावास परिसर में मनाने की आज्ञा नहीं देता है। माता-पिता को सलाह दी जाती है कि वे जन्मदिवस मनाने के लिए बच्चों को मिठाई आदि न भेजें। उपहारों के विनिमय की आज्ञा नहीं है।

SR-15. विद्यालय, स्टाफ के सदस्यों और सभी विद्यार्थियों से निम्नलिखित उपायों के अनुसरण करने का आग्रह करता है। स्वच्छ एवं हरित वातावरण की रक्षा के लिए हरित नियमों ("Green Rules") को अनुसरण करने की सावधानी वर्तनी चाहिए। अर्थात् स्कूल परिसर को प्रयोग के बाद फैंके जाने वाले गिलासों (disposable tumblers), कागज़, पॉलीथीन के लिफाफों से नहीं भरना चाहिए। पॉलीथीन के लिफाफों पर हिमाचल प्रदेश में पाबंदी लग गई है। और हम इस का अपवाद नहीं हैं।

SR-16. फूलों को न तोड़ें, न उन्हें गन्दा करें।

SR-17. विद्यार्थियों से विद्यालय की सम्पत्ति का आदर करने की अपेक्षा की जाती है। किसी भी विद्यार्थी को स्कूल की सम्पत्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, दीवारों, डैस्कों, आल्मारियों पर कुछ नहीं लिखना चाहिए या दूसरों से सम्बंध रखने वाली चीज़ों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। किसी विद्यालय सम्पत्ति को चाहे दुर्घटनावश ही हानि पहुंची हो, की सूचना कक्षा अध्यापक, प्रधानाचार्य या उप-प्रधानाचार्य को दी जानी चाहिए।

SR-18. HAPS विद्यार्थियों को जहां कहीं भी वे जाएं विनम्र होना चाहिए। उन्हें सदैव यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि कोई भी विद्यालय उस के विद्यार्थियों के आचरण से जाना जाता है। जब भी वे अपने अध्यापकों से मिलें उन्हें उन का अभिवादन करना चाहिए। डराना धमकाना और अशिष्ट भाषा का प्रयोग दण्डनीय अपराध है।

SR-19. विद्यार्थियों को चाकू आदि जैसे तेज़ यन्त्र ऐसी अन्य प्रकार की वस्तु जो दूसरों को हानि पहुंचा सकती हो, लाने की आज्ञा नहीं है।

SR-20. विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कक्षा–कक्ष, स्कूल भवन और परिसर को जितना सम्भव हो स्वच्छ रखें तथा परित्यक्त वस्तुओं को कूड़ा दान में डालें।

SR-21. विद्यालय खोई गई वस्तुओं के लिए उत्तरदायी नही है। कीमती चीज़ों (कीमती घड़िया, पेन आदि) को स्कूल लाना ठीक नहीं है।

SR-22. HAPS नर्सरी से 10+2 तक शिक्षा प्रदान करता है। इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि छोटों से प्यार और स्नेह का व्यवहार किया जाए जबकि छोटों को अपने से बड़ों को आदर दिखाना चाहिए। छात्रावास में रहने वाले तथा दिन में पढ़ने वाले (day scholars) के बीच पूरा तालमेल व एकता होनी चाहिए।

SR-23. फीस का भुगतान चेक द्वारा किया जा सकता है। चेक का भुगतान बैंक की सभी शाखाओं में हो सकता हो तथा उस बैंक की हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) में एक शाखा होनी चाहिए।

SR-24. कोई भी विद्यार्थी निम्न में से किसी भी आचरण में लिप्त नहीं होना चाहिए, जैसे –

- कमीज़ वर्दी या बैग पर कुछ लिखना।
- स्कूल भवन में या इस के निकट लिखना।
- धूम्रपान।
- किसी प्रकार का जुआ खेलना।
- दवाई या नशीले पदार्थों का सेवन।
- उपद्रव एवं रूक्ष व्यवहार।
- किसी भी रूप में हिंसा का प्रयोग।
- किसी भी रूप ज़ात-पात साम्प्रदायिकता या छुआछात।
- विद्यालय परिसर में पटाखे छोड़ना, एक दूसरे पर रंग फैकना, या चेहरों पर रंग पोतना।
- एक विद्यार्थी को किसी भी अवस्था में विद्यालय में मोबाइल फोन की आज्ञा नहीं दी जाती है।

SR-25. विद्यार्थियों को किसी प्रकार की दाढ़ी या सजावट वाला रूप बनाने की आज्ञा नहीं दी जाती है।

SR-26. विद्यार्थियों को दूसरे विद्यार्थियों के साथ हिंसा या विनाशकारी गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने सहपाठी या अपने से छोटों को दुर्व्यवहार में लिप्त होने और स्कूल के विरुद्ध किसी भी रूप में संलिप्त होने के लिए उसकाना नहीं चाहिए जिस से विद्यालय को बदनामी मिले और सम्बंधित विद्यार्थी का जीवन वृत भी बिगड़ जाए।

SR-27. विद्यार्थी विद्यालय शक्ति (authorities) द्वारा दिए गए आदेशों, निर्देशों और अनुदेशों का वहिष्कार नहीं करेंगे।

SR-28. परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़े गए विद्यार्थी स्कूल शक्ति द्वारा निर्णीत अनुशासनात्मक कारवाई का सामना करेंगे।

SR-29. कोई भी विद्यार्थी हिंसा में लिप्त नहीं होगा और न हिंसा में लिप्त विद्यार्थियों का सहयोग करेगा जिस से किसी विद्यार्थी की शारीरिक या मानसिक रूप में हानि हो।

SR-30. विद्यार्थी स्कूल अनुशासन के नियमों और सिद्वान्तों को विघ्न पहुंचाने के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे।

SR-31. विद्यार्थी विद्यालय को तम्बाखू, शराब या कोई अन्य अनधिकृत वस्तु नहीं लाएंगे।

SR-32. विद्यार्थियों से लोगों के साथ एक अच्छे व्यवहार की अपेक्षा की जाती है और वे स्कूल का प्रतिनिधित्व गर्व से करें।

SR-33. डराना–धमकाना निषेध है। किसी विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थी के साथ किसी प्रकार के शारीरिक अथवा मानसिक दुष्टता–पूर्ण व्यवहार की अनुमति नहीं दी जाती है। विद्यार्थियों में उच्च नैतिक व्यवहार को आरोपित करने के लिए सतत् प्रयास किए जाते हैं। यदि कोई विद्यार्थी किसी असामाजिक कार्य में दृढ़ रहता है तो वह गम्भीर अनुशासनात्मक कारवाई के प्रति जवाब देह होगा जिसमें निष्कासन/निकास होगा, जैसा भी प्रधानाचार्य उचित समझें।

SR-34. कोई बालक जो अनैतिक कार्य में लिप्त होगा, उसे बिना चेतावनी के विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा और किसी भी अवस्था में उस पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। ऐसी अवस्था में फीस भी वापस नहीं की जाएगी। सब से बढ़ कर बात यह है कि प्रधानाचार्य या अनुशासन समिति ऐसा करने के लिए कोई कारण दे या न दे।

SR-35. विद्यार्थियों को अपने पास नीच पाठन सामग्री या देखने वाली सामग्री (viewing material) रखने की अनुमति नहीं है।

SR-36.किसी विद्यार्थी को एक दूसरे से चीज़े खरीदने, बेचने या विनिमय करने और स्टाफ से अथवा एक दूसरे से उधार लेने या देने की अनुमति नही है। न ही उन्हें बाहर के किसी व्यक्ति से ऐसा करने की अनुमति है, विशेषकर जब वे स्कूल से बाहर जाते हैं।

SR-37.किसी भी प्रकार की रैगिंग (ragging) कठोरता से दंडनीय है और इस का परिणाम संस्था से निष्कासन हो सकता है। अत: विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसे कार्य में संलिप्त न हों।

SR-38.विद्यालय अपने अनुशासन के उच्च स्तर और आचार संहिता पर गर्व करता है। यह अपने विद्यार्थियों से संहिता के प्रति दृढ़ रहने के लिए जो अपेक्षाएं करता है, वे हैं :

i) व्यक्तिगत स्वास्थ्य, उपस्थिति और समय की पाबंदी।

ii) सद्‌व्यवहार, अच्छी रीति, भाषा और आचरण

iii) दूसरों के प्रति, स्कूल, इसकी सम्पत्ति और बिम्ब के प्रति सम्मान।

विद्यार्थियों को निम्नलिखित बातों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

i) उन्हें आंख की भंवों, ठोडी, कान, नाक आदि में किसी प्रकार के स्टड या रिंग पहनने की आज्ञा नहीं है।

ii) विद्यार्थी को low waist पतलून या स्कर्ट या तंग पतलून पहनने की अनुमति नहीं है।

iii) विद्यार्थियों द्वारा कोई कंगन, सुन्दर झुमके, लौकट या तावीज़ नहीं पहनने हैं।

iv) लड़कों को अपने बाल छोटे रखने हैं।

SR-39.स्कूल अवधि में (the school term) विवाह समारोह या अन्य समारोह में उपस्थित होने के लिए कोई भी प्रार्थना पत्र सत्कारित नहीं किया जाएगा जब तक कि इस का सम्बंध माता-पिता अथवा भाई-बहिन से न हो। इस विषय में समय पर लिखित आज्ञा प्राप्त करनी होगी। इस सम्बंध में टेलीफोन द्वारा कोई सन्देश स्वीकार्य नहीं होगा।

SR-40.फीस अदायगी एवं अग्रिम भुगतान

i) फीस को नियत तिथि के भीतर जमा करवाना होगा।

ii) फीस तथा अन्य देय को फीस काऊंटर पर फीस क्लर्क के पास जमा कराना होगा तथा किसी भी भुगतान के लिए उचित रसीद प्राप्त करें।

iii) डिमांड ड्राफ्ट प्रधानाचार्य हिम अकादमी पब्लिक स्कूल, हमीरपुर (हि॰प्र॰) के नाम से बनवाएं। बैंक की सभी शाखाओं के भुगतान योग्य चेक (Out Station Cheques) स्वीकार किए जाते हैं।

iv) प्राधानाचार्य द्वारा सूचित नियमित भुगतान के सिवाय कोई भी अतिरिक्त राशि प्रधानाचार्य के प्रपत्र के बिना नहीं ली जाएगी।

v) यदि कोई अग्रिम भुगतान हो तो प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवा लिया जाये।

SR-41.कोई भी विद्यार्थी स्कूल या छात्रावास या पर्यटन, भ्रमण आदि के दौरान काजल, लिप-गार्ड, नेल पॉलिश, कांटे, स्टड आदि का प्रयोग नहीं करेगा।